न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 34/2018 वाद पत्र

अनवान

1. जगदीश चन्द्र गोद पुत्र नारायण लाल रेगर निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादी

बनाम

1. धापु पत्नी नारायण रेगर निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीया

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 16/05/2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प बारोणा मे पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी मृतक खातेदार नारायणलाल पिता घीसा रेगर का गोद पुत्र है। प्रार्थी के गोद पिता नारायणलाल का देहान्त 6–7 वर्ष पूर्व हो गया है। उनके द्वारा जीते जी प्रार्थी जरिऐ रजिस्टर्ड गोदनामा के दिनांक 08.07.2009 से गोद पुत्र बनाया गया। परन्तु उनके देहान्त के पश्चात विरासत के नामान्तरकरण 761 में प्रार्थी का नाम दर्ज नही कर केवल प्रार्थी की गोदमाता धापू का नाम ही दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी की गोदमाता भी स्वंय के नाम के साथ साथ प्रार्थी का नाम भी राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है। ग्राम बोराणा में स्थित प्रार्थी के नाम दर्ज कृषि भूमि में प्रार्थी भी समान हक से दर्ज कराना फरमावें।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 16.05.2018 को दर्ज रजिस्टर किया गया। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 वादी एवं प्रतिवादीया स्वंय उपस्थित है। प्रतिवादीया ने गोदनामा लिखना स्वीकार किया है तथा ग्राम बोराणा तहसील रायपुर मे स्थित गोद माता के नाम दर्ज कृषि भूमि में समान हक से हिस्सा दर्ज करने में काई आपत्ति जाहिर नही की है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया ग्राम बोराणा तहसील रायपुर के खाता संख्या 427 एवं 430 में धापू पत्नि नारायण के साथ जगदीश गोद पुत्र नारायण दर्ज किया जाना न्यायोचित हैं। अतः

आदेश

ग्राम बोराणा तहसील रायपुर के खाता संख्या 427 एवं 430 में धापू पत्नि नारायण के साथ जगदीश गोद पुत्र नारायण दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता हैं। तद्नुसार डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

राजलक्ष्मी गहलोत
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा